

देश की उपासना

(देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए)

वर्ष - 03

अंक - 34

जैनपुर, शुक्रवार, 20 सितम्बर 2024

सान्ध्य दैनिक (संस्करण)

पेज - 4

मूल्य - 2 रुपये

संक्षिप्त खबरें
 चुनाव सुधार की दिशा में वन नेशन-वन इलेक्शन एवं बड़ा कदम - गिरिज सिंह

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र की मोटी सरकार ने इन नेशन-वन इलेक्शन को मंजुरी दी है। अब जल्द ही इस बिल को सदन में पेश किया जाएगा। इसको लेकर कपड़ा मंत्री और विवाह के बैग्जुसराय से भाजपा सांसद गिरिज सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। गिरिज सिंह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी शुरू से ही वन नेशन-वन इलेक्शन के पक्ष में हैं। इसको लेकर देश के पूर्व मुख्य न्यायिकों देश के मूल्य नेतृत्वों समी राजनीतिक दलों और चेहरे आपक कैबिनेट से चर्चा की गई। अब इसको कैबिनेट से मंजुरी मिल गई है। भाजपा नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कैबिनेट के फैसले को लेकर लिखा, चुनाव सुधारों की दिशा में एक बड़े छोड़ दिया। इसको लेकर देश के मंजुरी दी दी है। इस पहल का उत्तर्य पूरे देश में एक साथ चुनाव करना है। बार-बार चुनाव होने से चुनाव आचार सहित के कारण विकास कार्य प्रमाणित होते हैं। प्रशासन का और अधिक सुव्यवसित किया जाएगा, इससे प्रमुख विकास परियोजनाओं पर निर्बाध काम हो सकेगा।



और विकसित बनाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) पिछले 10 वर्षों में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया है और इसके परिणामस्वरूप देश में व्यापक बदलाव हुए हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि इस अभियान से लोगों के मन में भय होता था। लेकिन इन सात वर्षों में यहाँ का नजारा बदल गया है। साल वर्ष पहले ये क्षेत्र विकास से कोसों दूर था। अब, ये पर्यटन का स्थल हो गया है। सात साल पहले यहाँ लोग दिन के उत्तरालों में छात्राओं के लिए सरकार को बधाई दी और कहा कि इसके परिणामस्वरूप वालिकाओं की साक्षरता का स्तर बढ़ा है। इस अवसर पर मुरूने ने चार महिलाओं सहित पांच सफाई मित्रों को सम्मानित किया।

गोरखपुर, संवाददाता। सीएम योगी ने कहा कि गोरखपुर में 15-20 वर्ष पहले नौका विवाह और रामगढ़ ताल नाम से लोगों के मन में भय होता था। लेकिन इन सात वर्षों में यहाँ का नजारा बदल गया है। साल वर्ष पहले ये क्षेत्र विकास से कोसों दूर था। अब, ये पर्यटन का स्थल हो गया है। सात साल पहले यहाँ लोग दिन के उत्तरालों में यहाँ आने में भयही होते थे, वो अब रात में इनीमान से यहाँ से देश को स्वच्छ, स्वस्थ



शहर को सड़कें, फौर लेन विक्रिक साथ। पहले, रामगढ़ गंदोगा व अपराध का गढ़ बना हुए था। आज पर्यटन का एक केंद्र हो गया है। फर्टिलाइजर बंद था, मैटिकल कालेज बीमारथा। एस्स मेडिकल कालेज बेहतर हुआ। एस्स

भी सेवा दे रहा है। रामगढ़ ताल 1700 एकड़ क्षेत्र में विकसित होकर पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। पहले क्रूज आया। अब फलोटिंग रेस्टोरेंट सुविधा देंगे। इससे पर्यटक आकर्षित हो रहे हैं और और रोजगार के

अवसर मिल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने पलोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन करते हुए कहा कि कम से कम हाउपुड वाला जूस नहीं मिलेगा, थक लगाकर रोटीयां तो नहीं मिलेंगी। यहाँ जो मिलेगा शुद्ध मिलेगा। जो फाइव स्टार होटल में सुविधा मिलती है, अब यहाँ मिलेगी। लेकं के चारों ओर सड़क बन रही है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस गोरखपुर के नाम से 15-20 साल पहले भय होता था, सात वर्ष पूर्व यहाँ सुविधाओं की कल्पना ही बोमानी थी, वही गोरखपुर अब आधुनिक सोच के साथ विकास और रोजगार का संगम और नया पर्यटन हब बन रहा है।

यह चुनाव जम्मू कश्मीर को और बुलंद बनाने के लिए - मोदी

जम्मू-कश्मीर, एजेंसी। पीएम नरेंद्र मोदी की कठोर देश के पूर्व मुख्य न्यायिकों देश के मूल्य नेतृत्वों समी राजनीतिक दलों और चेहरे आपक कैबिनेट से चर्चा की गई। अब इसको कैबिनेट से मंजुरी मिल गई है। भाजपा नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कैबिनेट के फैसले को लेकर लिखा, चुनाव सुधारों की दिशा में एक प्रतिक्रिया दी है। गिरिज सिंह ने कहा कि इन दिल्ली, एजेंसी। सफाई मित्रों को सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुरूने ने स्वच्छता सर्वेषण में लगातार सातवीं बार शीर्ष पर रहने के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर शहर और देश में पेश किया जाएगा। इसको लेकर कपड़ा मंत्री और विवाह के बैग्जुसराय से भाजपा सांसद गिरिज सिंह ने कहा कि विकास परिक्रिया दी है। गिरिज सिंह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी शुरू से ही वन नेशन-वन इलेक्शन के पक्ष में हैं। इसको लेकर देश के पूर्व मुख्य न्यायिकों देश के मूल्य नेतृत्वों समी राजनीतिक दलों और चेहरे आपक कैबिनेट से मंजुरी मिल गई है। भाजपा नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कैबिनेट के फैसले को लेकर लिखा, चुनाव सुधारों की दिशा में एक प्रतिक्रिया दी है। गिरिज सिंह ने कहा कि इन दिल्ली, एजेंसी। सफाई मित्रों को सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुरूने ने स्वच्छता सर्वेषण में लगातार सातवीं बार शीर्ष पर रहने के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर शहर और देश में पेश किया जाएगा। इसको लेकर कपड़ा मंत्री और विवाह के बैग्जुसराय से भाजपा सांसद गिरिज सिंह ने कहा कि विकास परिक्रिया दी है। गिरिज सिंह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी शुरू से ही वन नेशन-वन इलेक्शन के पक्ष में हैं। इसको लेकर देश के पूर्व मुख्य न्यायिकों देश के मूल्य नेतृत्वों समी राजनीतिक दलों और चेहरे आपक कैबिनेट से मंजुरी मिल गई है। भाजपा नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कैबिनेट के फैसले को लेकर लिखा, चुनाव सुधारों की दिशा में एक प्रतिक्रिया दी है। गिरिज सिंह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी शुरू से ही वन नेशन-वन इलेक्शन के पक्ष में हैं। इसको लेकर देश के पूर्व मुख्य न्यायिकों देश के मूल्य नेतृत्वों समी राजनीतिक दलों और चेहरे आपक कैबिनेट से मंजुरी मिल गई है। भाजपा नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कैबिनेट के फैसले को लेकर लिखा, चुनाव सुधारों की दिशा में एक प्रतिक्रिया दी है। गिरिज सिंह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी शुरू से ही वन नेशन-वन इलेक्शन के पक्ष में हैं। इसको लेकर देश के पूर्व मुख्य न्यायिकों देश के मूल्य नेतृत्वों समी राजनीतिक दलों और चेहरे आपक कैबिनेट से मंजुरी मिल गई है। भाजपा नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कैबिनेट के फैसले को लेकर लिखा, चुनाव सुधारों की दिशा में एक प्रतिक्रिया दी है। गिरिज सिंह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी शुरू से ही वन नेशन-वन इलेक्शन के पक्ष में हैं। इसको लेकर देश के पूर्व मुख्य न्यायिकों देश के मूल्य नेतृत्वों समी राजनीतिक दलों और चेहरे आपक कैबिनेट से मंजुरी मिल गई है। भाजपा नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कैबिनेट के फैसले को लेकर लिखा, चुनाव सुधारों की दिशा में एक प्रतिक्रिया दी है। गिरिज सिंह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी शुरू से ही वन नेशन-वन इलेक्शन के पक्ष में हैं। इसको लेकर देश के पूर्व मुख्य न्यायिकों देश के मूल्य नेतृत्वों समी राजनीतिक दलों और चेहरे आपक कैबिनेट से मंजुरी मिल गई है। भाजपा नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कैबिनेट के फैसले को लेकर लिखा, चुनाव सुधारों की दिशा में एक प्रतिक्रिया दी है। गिरिज सिंह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी शुरू से ही वन नेशन-वन इलेक्शन के पक्ष में हैं। इसको लेकर देश के पूर्व मुख्य न्यायिकों देश के मूल्य नेतृत्वों समी राजनीतिक दलों और चेहरे आपक कैबिनेट से मंजुरी मिल गई है। भाजपा नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कैबिनेट के फैसले को लेकर लिखा, चुनाव सुधारों की दिशा में एक प्रतिक्रिया दी है। गिरिज सिंह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी शुरू से ही वन नेशन-वन इलेक्शन के पक्ष में हैं। इसको लेकर देश के पूर्व मुख्य न्यायिकों देश के मूल्य नेतृत्वों समी राजनीतिक दलों और चेहरे आपक कैबिनेट से मंजुरी मिल गई है। भाजपा नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कैबिनेट के फैसले को लेकर लिखा, चुनाव सुधारों की दिशा में एक प्रतिक्रिया दी है। गिरिज सिंह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी शुरू से ही वन नेशन-वन इलेक्शन के पक्ष में हैं। इसको लेकर देश के पूर्व मुख्य न्यायिकों देश के मूल्य नेतृत्वों समी राजनीतिक दलों और चेहरे आपक कैबिनेट से मंजुरी मिल गई है। भाजपा नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कैबिनेट के फैसले को लेकर लिखा, चुनाव सुधारों की दिशा में एक प्रतिक्रिया दी है। गिरिज सिंह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी शुरू से ही वन नेशन-वन इलेक्शन के पक्ष में हैं। इसको लेकर देश के पूर्व मुख्य न्यायिकों देश के मूल्य नेतृत्वों समी राजनीतिक दलों और चेहरे आपक कैबिनेट से मंजुरी मिल गई है। भाजपा नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कैबिनेट के फैसले को लेकर लिखा, चुनाव सुधारों की दिशा में एक प्रतिक्रिया दी है। गिरिज सिंह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी शुरू से ही वन नेशन-वन इलेक्शन के पक्ष में हैं। इसको लेकर देश के पूर्व मुख्य न्यायिकों देश के मूल्य नेतृत्वों समी राजनीतिक दलों और चेहरे आपक कैबिनेट से मंजुरी मिल गई है। भाजपा नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कैबिनेट के फैसले को लेकर लिखा, चुनाव सुधारों क

संपादकीय

सिर्फ कानून बनाने से नहीं रुकेंगे महिला अपराध

देश के नेताओं ने समस्याओं का आसान रास्ता तलाश कर रखा है। जब भी किसी समस्या से सामना हो तो कानून बना कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लो। समस्या की जड़ तक कोई भी राजनीतिक दल और सरकार नहीं जाना चाहती। ऐसा नहीं है कि समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो सकता, किन्तु वहाँ तक पहुंचने और व्यवहारिक समाझान ढूँढ़ने में पापड़ बेलने पड़ते हैं। पश्चिमी बांगला की ममता बनर्जी की सरकार ने महिला विधिक सेवा बलात्कार के बाद हत्या के मामले में वही किया है जो अब तक ऐसे मामलों में दूसरे राज्य या केंद्र सरकार करती रही हैं। मसलन कानून बना कर जिम्मेदारी पूरी कर ली। ममता सरकार ने विधानसभा में बलात्कार रोधी विधेयक संवेदनाएँ से परिषिकरित कर दिया। विधेयक के मरीदे में बलात्कार पीड़ितों की मौत होने या उसके स्थायी रूप से अचेत अवरथा में चले जाने की सूरत में ऐसे दोषियों के लिए मृत्युदण्ड का प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा मरीदे प्रस्ताव किया गया है कि बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के दोषी व्यक्तियों को आजीवन कावास की सजाई दी जाए, और उन्हें पोरोल की सुविधा न दी जाए। अपराजित महिला एवं बाल विधिक 2024 शीर्षक वाले इस प्रस्तावित कानून का दृष्ट्यान् बलात्कार और यौन अपराधों से सबैधित नये प्रावधानों के जरिये महिलाओं और बच्चों की सुखा मजबूत करना है। यह बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास जाएगा, उनसे पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जाएगा। इससे पहले 2019 में आंध्र प्रदेश दिशा विधेयक और 2020 में महाराष्ट्र शक्ति विधेयक विधानसभा से पारित हुआ था। इन दोनों विधेयकों में बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के सभी तरह के मामलों में अनिवार्य फांसी का प्रावधान किया गया था। इन दोनों विधेयकों का राज्यविधानसभा ने सरकार से पारित किया था। लेकिन दोनों विधेयकों अभी तक राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली है। भारतीय न्याय सहित (बीएनएस) और भारतीय नागरिक सुखा सहित के साथ-साथ 2012 के पोक्सो अधिनियम के कुछ हिस्सों में संशोधन करने और पीड़ितों की धार्याएँ नये सरकार से पारित किया था। इन दोनों विधेयकों में बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के खाते में विदेश वहाँ तक राष्ट्रपति की मंजूरी की जिक्र किया गया है। इसके अलावा मरीदों के विधेयक संवेदनाएँ से परिषिकरित करने की जिक्र किया गया है। इसके अलावा विधेयक के लिए जारी होने वाले अन्य सरकारी विधेयकों में अधिकारी विधेयक की मंजूरी नहीं मिली है। अब तक विधेयक की मंजूरी नहीं मिली है।

इसे भी पढ़ें महिला विधेयी अपराध के दलदल में भद्रलोक

गौरतलब है कि निर्भया कांड के बाद कानून को बहुत सख्त कर दिया गया था। रेप की परिमाण भी बदल दी थी, ताकि महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी लाई जा सके। पहले जबरदस्ती या असहमति से बनाए गए संबंधों को ही रेप के दायरे में लाया जाता था। लेकिन इसके बाद 2013 में कानून में संशोधन कर इसका दायरा बढ़ाया गया। इतना ही नहीं, युवानइल कानून में संशोधन किया गया था। इसके बाद अगर कोई 16 साल और 18 साल से कम उम्र का कोई किशोर जधन्य अपराध करता है तो उसके साथ वयस्क की तरह ही बर्ताव की धार्या जाएगा। हालांकि, इन सबके बावजूद सुघार नहीं हुआ है। निर्भया कांड (2012) के बाद भारत में कई चर्चित बलात्कार की घटनाएँ हुई हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक 17 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार और हत्या की घटना सामने आई। उत्तर प्रदेश की ही हाथरस जिले में एक 19 वर्षीय दलित लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार और अत्यंत बर्बरता की गई। पीड़ितों की मृत्यु के बाद, उसके शव को परिवार की अनुमति के बिना रात के समय दफनाया गया। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना सामने आई। पीड़ितों की शिकायत के बावजूद, पुलिस ने समय पर कार्रवाई नहीं दी जाती है। ऐसी विधिक विरोध प्रदर्शन हुए। हैदराबाद में एक महिला बेटरनी डंकटर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना ने व्यापक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने कार्रवाई की, और बाद में आरोपी एनकांटर में मार गए, जिसने विवाद और बहस को जन्म दिया। मणिपुर में एक महिला के साथ बलात्कार और हत्या की घटना ने हाल ही में बहुत ध्यान खींचा। इस मामले ने स्थानीय हिंसा और सामाजिक अस्थिरता को भी उजागर किया। साल 2013 में केंद्र सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया फंड बनाया, जिसका मकसद राज्यों को महिलाओं की सुरक्षा को पुख्ता करना था। मगर, इसका अभी पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो पाया है। निर्भया फंड की 9 हजार करोड़ रुपये की धनवाणी का लगाव भाले 30 प्रतिशत हिस्सा भी सही से इस्तेमाल नहीं हो पाया है। निर्भया फंड बनने से लेकर 2021-22 तक, कोष के तहत कुल आवंटन 6,000 करोड़ रुपये से ज्यादा रहा है, जिसमें से 4,200 करोड़ रुपये का ही अब तक इस्तेमाल हो पाया है। गौरतलब है कि भारत में हर घंटे 3 महिलाएँ रेप का शिकायत देती हैं, यानी हर 20 मिनट में बलात्कार की एक घटना। वेश में रेप के मामलों में 96 प्रतिशत से ज्यादा आरोपी महिला को जानने वाले होते हैं।

जयसिंह

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द की अध्यक्षता में गठित एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयकों को लेकर गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करने के बाद अब इस मुद्रे पर संवैधानिक प्रक्रियाएँ शुरू होने के साथ ही व्यापक राष्ट्रीय चर्चा शुरू हो जाएगी। कोविन्द समिति की सिफारियों के अनुसार 'एक राष्ट्र एक चुनाव' का युगान्तरकारी उद्देश्य दो चरणों में लागू होना है, जिसमें पहले चरण में लोकसभा और विधायिक समाजसभा का निर्वाचन एक साथ करना और दूसरे दो चरण में आम चुनावों के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय के लिए निर्वाचन (चंचायत और नगर पालिका) करना। आम चुनावों के लिए ही इस सम्पूर्ण संवैधानिक और राजनीतिक कसरत को दो भागों में बांटा गया है। अब देखना यह है कि मोदी सरकार का यह अति गहराई कांड सभापति किस तरह साकारा होता है, क्योंकि 'एक राष्ट्र' एक

होगा। बैसाखियों पर खड़ी सरकार के लिए मुश्किलों का नहीं है।

एक साथ नगर निकायों से लेकर संसद के चुनाव करने की प्रक्रिया

"चुनाव" का नारा जितना लुभावना लगता है उतना आसान कर्तु नहीं है। इसके लिए महत्वपूर्ण सविधान संशोधनों के साथ ही राष्ट्रीय सम्पर्कों की मोती आवश्यकता है और

किसी निकायिक कांड के लिए जिसका अनुच्छेद 324 में संशोधन करना चाहिए। जिसका अनुच्छेद 324 के लिए केंद्र और राज्यों द्वारा एक विधेयक के लिए संवैधानिक कांड के लिए जिसका अनुच्छेद 324 के लिए केंद्र और राज्यों द्वारा एक विधेयक के लिए संवैधानिक कांड के लिए जिसका अनुच्छेद 324 के लिए केंद्र और राज्यों द्वारा एक विधेयक के लिए संवैधानिक कांड के लिए जिसका अनुच्छेद 324 के लिए केंद्र और राज्यों द्वारा एक विधेयक के लिए संवैधानिक कांड के लिए जिसका अनुच्छेद 324 के लिए केंद्र और राज्यों द्वारा एक विधेयक के लिए संवैधानिक कांड के लिए जिसका अनुच्छेद 324 के लिए केंद्र और राज्यों द्वारा एक विधेयक के लिए संवैधानिक कांड के लिए जिसका अनुच्छेद 324 के लिए केंद्र और राज्यों द्वारा एक विधेयक के लिए संवैधानिक कांड के लिए जिसका अनुच्छेद 324 के लिए केंद्र और राज्यों द्वारा एक विधेयक के लिए संवैधानिक कांड के लिए जिसका अनुच्छेद 324 के लिए केंद्र और राज्यों द्वारा एक विधेयक के लिए संवैधानिक कांड के लिए जिसका अनुच्छेद 324 के लिए केंद्र और राज्यों द्वारा एक विधेयक के लिए संवैधानिक कांड के लिए जिसका अनुच्छेद 324 के लिए केंद्र और राज्यों द्वारा एक विधेयक के लिए संवैधानिक कांड के लिए जिसका अनुच्छेद 324 के लिए केंद्र और राज्यों द्वारा एक विधेयक के लिए संवैधानिक कांड के लिए जिसका अनुच्छेद 324 के लिए केंद्र और राज्यों द्वारा एक विधेयक के लिए संवैधानिक कांड के लिए जिसका अनुच्छेद 324 के लिए केंद्र और राज्यों द्वारा एक विधेयक के लिए संवैधानिक कांड के लिए जिसका अनुच्छेद 324 के लिए केंद्र और राज्यों द्वारा एक विधेयक के लिए संवैधानिक कांड के लिए जिसका अनुच्छेद 324 के लिए केंद्र और राज्यों द्वारा एक विधेयक के लिए संवैधानिक कांड के लिए जिसका अनुच्छेद 324 के लिए केंद्र और राज्यों द्वारा एक विधेयक के लिए संवैधानिक कांड के लिए जि�सका अनुच्छेद 324 के लिए केंद्र और राज्यों द्वारा एक विधेयक के लिए संवैधानिक कांड के लिए जिसका अनुच्छेद 324 के लिए केंद्र और राज्यों द्वारा एक विधेयक के लिए संवैधानिक कांड के लिए जिसका अनुच्छेद 324 के लिए केंद्र और राज्यों द्वारा एक विधेयक के लिए संवैधानिक कांड के लिए जिसका अनुच्छेद 324 के लिए केंद्र और राज्यों द्वारा एक विधेयक के लिए संवैधानिक कांड के लिए जिसका अनुच्छेद 324 के लिए केंद्र और राज्यों द्वारा एक विधेयक के लिए संवैधानिक कांड के लिए जिसका अनुच्छेद 324 के लिए केंद्र और राज्यों द्वारा एक विधेयक के लिए संवैधानिक कांड के लिए जिसका अनुच्छेद 324 के लिए केंद्र और राज्यों द्वारा एक विधेयक के लिए संवैधानिक कांड के लिए जिसका अनुच्छेद 324 के लिए केंद्र और राज्यों द्वारा एक विधेयक के लिए संवैधानिक कांड के लिए जि�सका अनुच्छेद 324 के लिए केंद्र और राज्यों द्वारा एक विधेयक के लिए संवैधानिक कांड के लिए जिसका अनुच्छेद 324 के लिए केंद्र और राज्यों द्वारा एक विधेयक के लिए संवैधानिक कांड के लिए जिसका अनुच्छेद 324 के लिए केंद्र और र

बेसहारा पशुओं के लिए जनपद में बृहद गौशाला खोले जाने की तैयारी की गई है - ओम प्रकाश श्रीवास्तव

ब्लॉक प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव
जौनपुर। जनपद में बेसहारा पशुओं को पौधिक आहार के साथ ही बेहतर रख रखाव का सम्बन्धित प्रबंध किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक



ब्लॉक में एक बृहद गौशाला खोलने के लिए कम से कम एक हेक्टेयर जमीन उपलब्ध कराने के लिए उपजिलाधिकारी को पत्र भेजा गया है। इसके अलावा हरे चारे के लिए भी सरकारी भूमि चिन्हित कराई जा रही है। वर्तमान में पांच बृहद गौशाला संचालित हैं। चार का निर्माण चल रहा है। बेसहारा पशुओं को आश्रय देकर फसलों की सुख्त कराना योगी सरकार ने दिया है। कड़ी

